उपायुक्त का न्यायालय,कोडरमा

Misc. –

शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित भू–हस्तांरण अभिलेख संख्या–05/2015–16

आदेश

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक 386/रा0 दिनांक 15/03/2016 के द्वारा शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित अंचल अधिकारी, कोडरमा के भू–हस्तांरण अभिलेख संख्या–05/2015–16 प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कोडरमा के द्वारा कोडरमा जिला में शहरी जलापूर्ति योजना हेतु मौजा–चन्द्रोडीह, थाना नं0–290, सर्वे खाता सं0–17, प्लॉट नं0–572, रकवा–06.40 ए0 भूमि सर्वे खतियान गैरमजरूआ खास खाते की भूमि के रूप में दर्ज है, के अंश भाग 05.00 ए0 भूमि का प्रतिवेदन दिया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का कार्यालय में चालू पंजी II के विभिन्न पृष्टों पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम सरकारी बन्दोबस्ती के द्वारा जमाबन्दी कायम की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र	बन्दोबस्तधारक का नाम एवं पिता का नाम	मौजा/थाना	खाता नं0	प्लॉट नं0	बन्दोबस्त रकवा	जमाबन्दी का पृष्ट संख्या	बन्दोबस्ती वाद संख्या
1.	ए0 एम0 सिन्हा	चन्द्रोडीह/290	17	572	2.125	142/1	01/78–79
2.	दासो धोबी पिता–सुकर धोबी	चन्द्रोडीह/290	17	572	2.00	194/1	09/79–80

स्थल जाँच के क्रम में पाया गया है कि उक्त भूमि पथरीली एवं बंजर है जो कृषि योग्य भूमि नहीं है। उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा भी बताया गया कि उक्त भूमि किसी भी व्यक्ति के दखल कब्जा में नहीं है तथा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है, जबकि उपरोक्त जमाबन्दी धारक के नाम सरकारी नियमानुसार भूमिहीन श्रेणी के व्यक्तियों के बीच जीवन–यापन हेतु कृषि कार्य के लिए सरकारी बन्दोबस्ती की गई थी परंतु पथरीली एवं बंजर होने के चलते कभी भी बन्दोबस्त धारक के द्वारा न दखल कब्जा किया गया और न ही कृषि का कार्य किया गया।

उपरोक्त बन्दोबस्त धारक को अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा नोटिस निर्गत की गई किन्तु बन्दोबस्त भूमि को जोत–अवाद करने के संबंध में कोई साक्ष्य उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 ख के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि– **यथापूर्वोक्त रीति से बन्दोबस्त किसी ऐसी भूमि की दशा में, जिसपर बन्दोबस्त की तारीख से पांच वर्षो की कालावधि तक खेती न की गयी हो अथवा धारा 46 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में अन्य संक्रामण किया गया हो, जिले का उपायुक्त बन्दोबस्त को अपास्त करने और धारा 63–क के उपबंध के अनुसार ऐसी भूमि को पुनःबन्दोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।**

अंचल अधिकारी, कोडरमा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा/अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 ख के अन्तर्गत पूर्व में बन्दोबस्त भूमि को वापस अधिगृहित करने तथा बन्दोबस्तधारी दासो धोबी एवं ए0 एम0 सिन्हा के जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त बन्दोबस्त धारक को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से नोटिस निर्गत किया गया और अपना–अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया, नोटिस प्राप्ति के बाद सभी बन्दोबस्त धारक दासो धोबी एवं ए0 एम0 सिन्हा के पत्नी उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखें तथा बन्दोबस्ती का कागजात भी दाखिल किया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को विस्तृत रूप से सुना।

दासो धोबी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान कहा गया कि उक्त भूमि उन्हें सरकार के द्वारा दिया गया था, जो शांतिपूर्ण एवं दखल कब्जा में है एवं खेती–बारी करते है, बेटा विकलांग है एवं उसी जमीन से उनकी जीविका चलती है। जमीन से बेदखल कर दिया जायेगा तो एकमात्र साधन छीन जायेगा। उक्त भूमि का राजस्व रसीद वर्ष 2002–03 एवं 2006–07 में निर्गत किया गया है, जिसकी संख्या क्रमशः JN/392186018 एवं JA/40810997 है।

विपक्षी ए0 एम0 सिन्हा की पत्नी सरिता सिन्हा का कहना है कि उनके बच्चे अब बड़े हो गये है और अब वे खेती करने के लायक हुए है। पहले उस जमीन में कुछ कृषि कार्य नहीं किया था लेकिन अब वे कृषि करेंगे। जमीन ही एकमात्र उनके जीने का सहारा है। उक्त भूमि का राजस्व रसीद वर्ष 2006–07 में निर्गत किया गया है, जिसकी संख्या क्रमशः JA/400002520 है।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी ए0 एम0 सिन्हा की पत्नी सरिता सिन्हा द्वारा प्रस्तुत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश पत्र में है कि खाता नं0–17, प्लॉट नं0–572, रकवा–6.40ए0 भूमि माइनिंग कार्य हेतु मेसर्स एस0 के0 सहाना, कोडरमा के साथ लीज द्वारा बन्दोबस्त किया गया था, पर उसी जगह पर यह भी जिक्र है कि उपरोक्त कम्पनी द्वारा प्रत्यार्पण कर दिया गया था। जिसकी विधिवत विभागीय स्वीकृति भी दी गई थी। इसके पश्चात विपक्षी सरिता सिन्हा को बन्दोबस्त किया गया था।

विपक्षी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को विस्तृत रूप से सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं उनके ब्यान से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी बन्दोबस्त धारक साक्ष्य नहीं जुटा पाये कि वे लोग उस जमीन पर कृषि कार्य कर रहे है।

चूँकि बन्दोबस्तधारी रैयतों द्वारा बन्दोबस्ती में दी गयी जमीन को आजतक कृषि योग्य जमीन नहीं बना पाये और न ही खेती–बारी कियें। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 ख के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि– **यथापूर्वोक्त रीति से बन्दोबस्त किसी ऐसी भूमि की दशा में, जिसपर बन्दोबस्त की तारीख से पांच वर्षो की कालावधि तक खेती न की गयी हो अथवा धारा 46 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में अन्य संक्रामण किया गया हो, जिले का उपायुक्त बन्दोबस्त को अपास्त करने और धारा 63–क के उपबंध के अनुसार ऐसी भूमि को पुनःबन्दोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।**

अतः उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर CNT Act 1908 की धारा 63 क एवं ख के अन्तर्गत दासो धोबी एवं ए0 एम0 सिन्हा के पूर्व सें बन्दोबस्त उल्लेखित भूमि को वापस अधिगृहित करते हुएं दासो धोबी, पिता–सुकर धोबी, एवं ए0 एम0 सिन्हा, पिता–स्व0 विमल प्रसाद सिन्हा के जमाबन्दी को रद्द किया जाता है। पारित आदेश की प्रति अभिलेख के साथ अपर समाहर्त्ता, कोडरमा को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त कोडरमा।

उपायुक्त
कोडरमा।